

प्रेषक,

परशुराम
अपर प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, बदायूँ ।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।

द्वारा-

माननीय प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय, बदायूँ ।

विषय-

उत्तर-प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301
(1)/2024 दिनांकित 28 जून, 2024 सपठित शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-
276/ दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11.07.2024 के आलोक में पुरानी पेंशन
योजना से आच्छादित किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर विकल्प प्रस्तुत किये
जाने के संबंध में,

महोदय,

उपर्युक्त विषयांकित के सम्बन्ध में ससम्मान निवेदन है कि उत्तर-प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित 28 जून, 2024 सपठित शासनादेश संख्या-20/2024 सा-3-276/दस/2024/301(1)/2024 दिनांक 11.07.2024 तथा माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या-9691/IV-F-82(Pension)/Admin.(A) Dated: July 16, 2024 के आलोक में ऐसे राज्य कार्मिक जिनकी नियुक्ति दिनांक 28.03.2005 के पूर्व के विज्ञप्ति के अनुक्रम में हुई है, उन्हें पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु विकल्प का प्रारूप निर्गत करते हुए **पुरानी पेंशन योजना** का विकल्प स्वीकार करने हेतु अवसर दिया गया है।

उपर्युक्त के संबंध में ससम्मान सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी की नियुक्ति लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद, उ०प्र० द्वारा निर्गत विज्ञप्ति **No- A-2/E-1/2003 dated 15.11.2003 "Employment News" dated-22-28 नवम्बर 2003** के अनुक्रम में उत्तर-प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-4, संख्या-2430/दो-04-06-32(1)/2001 टीसी.-1, लखनऊ : दिनांक : **26.05.2006** के अनुपालन में दिनांक **21.06.2006** को हुई है। प्रार्थी वर्तमान में अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बदायूँ के पद पर नियुक्त है। प्रार्थी **पुरानी पेंशन योजना के विकल्प को स्वीकार करता है।** उ०प्र० शासन द्वारा विकल्प प्रेषित करने हेतु निर्गत प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प स्वीकार करते हुए साथ में संलग्न किया जा रहा है। मेरा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प अन्तिम विकल्प माना जाये। यह भी सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी इससे पूर्व सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्त था। जिसकी विज्ञप्ति तिथि **31.12.2002** [लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति संख्या-A- 4/E-1/2002], नियुक्ति तिथि- **28.03.2005** तथा योगदान तिथि-**11.04.2005** है। यह भी सादर अवगत कराना है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के अशासकीय संख्या-3-567/दस-2012 दिनांक 29 जून, 2012 में प्राप्त सहमति उपरांत उत्तर-प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-4 संख्या-568/दो-04-2012-23(4)/2010, लखनऊ दिनांक 03.08.2012 के द्वारा प्रार्थी की दोनों विभाग की सेवाएं जोड़ी (संयोजन) जा चुकी है। माननीय

महोदय के आदेश संख्या-10219/IV-F-82(Pension)/Admin.(A) dated 29.07.2024 के अनुपालन में निर्गत प्रारूप पर विकल्प-पत्र भरकर अभियोजन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को उचित कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। जिसकी प्रति साथ में संलग्न की जा रही है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थी का पुरानी पेंशन योजना का विकल्प स्वीकार कर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें। असीम कृपा होगी।

सादर।

दिनांक: 22.08.2024

संलग्नक:- यथोक्त

भवदीय

(परशुसम)

अपर प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय, बदायूँ।

संलग्नक:

- 1- विकल्प पत्र की मूल-प्रति।
- 2- अभियोजन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को प्रेषित पत्र व विकल्प पत्र की प्रति।
- 3- दोनों सेवाएं जोड़े जाने संबंधी निर्गत पत्र की प्रति

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश

पत्रांक संख्या- 181 दिनांक: 23 अगस्त, 2024

अग्रसारित

प्रधान न्यायाधीश


कुटुम्ब न्यायालय, बदायूँ

प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, बदायूँ

विकल्प पत्र


1. नाम - परशुराम
2. वर्तमान पदनाम - अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बदायूँ उ०प्र०।
3. वेतनमान - J-5, (144840-194660)
बेसिक वेतनमान - 1,67,920/- (माह अगस्त, 2024)
4. वर्तमान विभाग का नाम - माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (न्याय विभाग), उ०प्र०।
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम - लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश
6. विज्ञप्ति की तिथि- 15.11.2003 [No- A-2/E-1/2003] “ Employment News”
dated-22-28 नवम्बर 2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- उत्तर-प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-4, संख्या-2430/दो-04-06-32(1)/2001 टीसी.-1, लखनऊ : दिनांक : 26.05.2006
8. योगदान की तिथि - 21.06.2006
9. जन्म तिथि - 16.08.1973
10. सेवानिवृत्ति की तिथि - 31.08.2033

मैं.....परशुराम..... पुत्र.....स्व० श्री मेवालाल.....
शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/ 2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत
.....पुरानी पेंशन योजना (✓)..... में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया
यह विकल्प अन्तिम समझा जाये।

हस्ताक्षर- 
नाम- परशुराम
पदनाम- अपर प्रधान न्यायाधीश, बदायूँ ।
(ID.N0.-UP6451)


घोषणा पत्र

मैं..... परशुराम..... पदनाम.... अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जनपद-
बदायूँ... यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में
सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर- 
नाम- परशुराम
पदनाम- अपर प्रधान न्यायाधीश, बदायूँ ।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री.....परशुराम... पदनाम-...अपर प्रधान न्यायाधीश, बदायूँ...को उपरोक्त तथ्यों के
आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति
प्रदान की जाती है।


23.8.2024
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय बदायूँ

नोट- [प्रार्थी इससे पूर्व सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्त था । जिसकी विज्ञप्ति
तिथि 31.12.2002 [लोक सेवा आयोग, उ०प्र० की विज्ञप्ति संख्या-A-4/E-1/2002], नियुक्ति तिथि-
28.03.2005 तथा योगदान तिथि-11.04.2005 है।]

उत्तर प्रदेश शासन,
नियुक्ति अनुभाग 4
संख्या-568/बी-04-2012-23(4)/2010
लखनऊ : दिनांक 23-06-2012
कार्यालय झाप

संयुक्त नियन्त्रक, माओ उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-3826/वार 3479/एडमि-1(ए) दिनांक 30.08.2010 एवं उप नियन्त्रक(एन), माओ उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-3844/वार 3479/एडमि-1(ए) दिनांक 20.03.2012 द्वारा श्री परशुराम, सिविल जज के उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में दिनांक 21.06.2006 की अपरान्ह अर्थात् दिनांक 22.06.2006 पूर्वान्ह में योगदान करने से पूर्व राज्य सरकार के अन्तर्गत ही अभियोजन विभाग में सहायक सेवायोजन अधिकारी के पद पर दिनांक 11.04.2005 से 20.06.2006 के अपरान्ह तक की गयी सेवाओं को सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के साथ जोड़े जाने के सम्बन्ध में प्राप्त आस्था/संस्तुति के अनुक्रम में अफोहरस्तासरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री परशुराम, सिविल जज के उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में दिनांक 21.06.2006 की अपरान्ह अर्थात् दिनांक 22.06.2006 पूर्वान्ह में योगदान करने से पूर्व राज्य सरकार के अन्तर्गत सहायक सेवायोजन अधिकारी के पद पर दिनांक 11.04.2005 से 20.06.2006 के अपरान्ह तक की गयी सेवाओं को मात्र सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु सिविल सर्विस रेग्युलेशन के अनुच्छेद 37D के अधीन आगन्तित किये जाने एवं दिनांक- 21.06.2006 (01दिन) के व्यक्तान को गणित करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि श्री परशुराम नयी पेंशन योजना, जो अंशदायी पेंशन योजना है, की योजना से आवकदित होंगे। श्री परशुराम की नियुक्ति की प्रथम तिथि 11.04.2005 से नयी पेंशन योजना के सदस्य माने जायेंगे तथा अभिदान अंशदान की कटौती माह मई, 2005 भुगतान माह जून, 2005 से प्रारम्भ मानी जायेगी। नयी पेंशन योजना में पेंशनरी लागू हेतु अलग से सेवाएँ जोड़े जाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र औपचारिक आदेश जारी किये जा रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 21.6.2006 (एक दिन) के सेवा व्यक्तान को किसी भी दशा में अर्हकारी सेवा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

2- यह आदेश विता (सामान्य) अनुभाग-3 के अहाराकीय संख्या-3-567/दस-2012 दिनांक 29 जून, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

राजीव कुमार
प्रमुख रायिव।

संख्या-568(1)-बी-04-2012-तददिनांक

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानियन्त्रक, माओ उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को श्री परशुराम, न्यायिक अधिकारी की पूर्व/वर्तमान न्यायिक सेवापुरिष्ठाका मूलरूप में दो अदद सहित।
- 3- पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन धर्मो ताल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, केंपगार निदेशालय, सिविल न्यायालय कचेरी रोड, इलाहाबाद।
- 5- श्री परशुराम, सिविल जज (सीओडि), नगीना, जनपद विजनाौर।
- 6- विता (सामान्य) अनुभाग-3
- 7- माई कृक हेतु।

आज्ञा से
(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष रायिव।